

वाराणसी जोन के अन्तर्गत वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, गोरखपुर एवं गोण्डा नगरों के आवासीय/व्यवसायिक, भूखण्डों, दुकानों, कम्युनिटी फेसिलिटी भूखण्डों एवं भवनों की नीलामी

नीलामी
तिथि
22-12-2015

समय
प्रातः 10.30
बजे

नीलामी स्थल: वाराणसी जोन कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर (भेलूपुर), वाराणसी।

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर (प्र.व.मी. में)/ अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी				
कम्युनिटी फेसिलिटी-2, 3ए-2 (लीज पर) (अनारक्षित) FAR 1.5, ग्राउंड कवरेज 50 एवं अधिकतम ऊँचाई 15 मी0	02	1480.00, 3053.68	22000.00	16.28 से 33.60 तक
डोमरौली योजना मिर्जापुर				
व्यवसायिक भूखण्ड- 114 (अनारक्षित)	01	289.45	19,712.00	5.71
सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर				
आवासीय भूखण्ड-डी-10, डी-2/1 (अनारक्षित)	02	232.00 एवं 255.00	17,920.00	2.08 एवं 2.29
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर				
दुकान एस-1 से 12 (अनारक्षित)	12	9.633 से 9.922	10.76 से 10.93 तक	1.08 से 1.10
अवधपुरी योजना, फैजाबाद				
व्यवसायिक भूखण्ड- सी.पी.-1341/1 (अनारक्षित)	01	100.65	16,800.00	1.70
कियोस्क के-1 से के-4 (अनारक्षित)	04	4.50 प्रति नग	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 प्रति नग	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
भरतपुरी योजना, गोण्डा				
प्राइमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-2 एवं फेज-3 (अनारक्षित) FAR 1.5 ग्राउंड कवरेज 50 एवं अधिकतम ऊँचाई 15 मी.	02	1587.50 एवं 1826.82	8400.00 (प्रति नग)	13.34 एवं 15.35

नोट:- शैक्षिक भूखण्डों हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 80-भरतपुरी योजना, आवास विकास कालोनी, गोण्डा से नगद जमा करके पुस्तिका प्रकाशन तिथि से एक माह के अन्दर तक प्राप्त कर पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त वैध/पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा। प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

सामान्य सूचना :- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100.00 जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

परिषद की विभिन्न योजनाओं के बकायदारों हेतु एक मुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) की सुविधा मार्च 2016 तक उपलब्ध।

परिषद से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु
जन सुविधा केन्द्र
को स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें 1800-180-5333
(टोल-फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सेवोत्तम प्रमाणित संस्था
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,
Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: info@upavp.com

